



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-23.10.2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्तगण अब्दुल सलीम व मुर्तजा को एनडीपीएस के संबंध में
मा0 न्यायालय द्वारा 01 माह के कारावास व 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 167/2015 धारा- 8/22 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण अब्दुल सलीम पुत्र अब्दुल कुद्दुस व मुर्तजा पुत्र अब्दुल कलीम, निवासीगण भेलूपुर जनपद वाराणसी । को थाना-भेलूपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 23.10.2024 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफटीसी जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा- 8/22 एनडीपीएस एक्ट में 01-01 माह के सश्रम कारावास व 02-02 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 15-15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी